राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / माद / 133428 / 2017 जयपुर, दिनांक : 03 AUG 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

MOST URGENT

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तथा कार्यस्थल एवं ग्राम पंचायत पर आवश्यक रिकार्ड के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थल प्रबन्धन एवं ग्राम पंचायत पर आवश्यक दस्तावेज संधारण के संबन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये है। राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा विभिन्न जिलों में किये गये निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित नही की जा रही है, जो कि एक गंभीर विषय है। इस संबन्ध में निम्न वर्णित मुख्य निर्देश पुनः दोहराये जाते है :–

1. जॉबकार्ड के पूर्णरूपेण भर जाने, फट / नष्ट हो जाने के उपरान्त जॉबकार्ड का नवीनीकरण आवश्यक रूप से किया जावे एवं जॉबकार्ड की मांग किये जाने पर अधिनियम के प्रावधानानुसार नया जॉबकार्ड जारी किये जावे।
2. वर्तमान में जिले में अभियान के रूप में फटे / नष्ट / भरे हुए जॉबकार्ड के स्थान पर तुरन्त नये जॉबकार्ड जारी किये जावे। यह ध्यान रखा जावे कि जॉबकार्ड का नम्बर परिवर्तित नही होगा। जॉबकार्ड जारी किये जाने एवं नवीनीकरण किये जाने पर किसी प्रकार की कोई रोक नही है।
3. जॉबकार्ड अद्यतन रखे जावे।
4. प्रत्येक कार्यस्थल पर स्थायी "नागरिक सूचना बोर्ड" जिस पर कार्य के संबन्ध में पूर्ण जानकारी अंकित हो, अनिवार्य रूप से लगाये जावे।
5. प्रत्येक कार्यस्थल पर महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 में वर्णित मूलभूत सुविधाए यथा छाया, पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा हेतु दवाईयां आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जावे।
6. प्रत्येक कार्यस्थल पर, कार्य की पत्रावली जिसमें प्रशासनिक / तकनीकी / वित्तीय स्वीकृति की प्रति, कार्य का विस्तृत तकमीना, कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व की फोटो, पूर्व में उपयोग में ली गयी मस्टररोल की फोटोप्रति, उपयोग मे ली गयी सामग्री का विवरण, माप पुस्तिका की प्रति आदि आवश्यक रूप से हो।
7. ग्राम पंचायत पर निम्न 7 रजिस्टर का संधारण आवश्यक रूप से उपलब्ध हो :–
    i. जॉबकार्ड आवेदन, पंजीकरण, जारी किये गये, परिवार को उपलब्ध कराये गये रोजगार का विवरण रजिस्टर
    ii. ग्राम सभा रजिस्टर

iii. कार्य की मांग, उपलब्ध कराये गये कार्य एवं भुगतान का रजिस्टर

iv. कार्यो से संबन्धित रजिस्टर

v. परिसम्पति रजिस्टर

vi. शिकायत रजिस्टर

vii. सामग्री रजिस्टर

**जिला कार्यक्रम समन्वयक** के रूप में महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के **प्रावधानों की पालना कराया जाना आपके लिए अनिवार्य** है। अतः उक्त **निर्देशों की पालना सुनिश्चित** करायी जावें।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य स्तर से निरीक्षण के दौरान **उक्तानुसार कार्यवाही नही होने की स्थिति में संबन्धित कार्यक्रम अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वयं जिम्मेदार होगें** तथा विभागीय नियमों के अनुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Compliance of the above seven issues have been linked with next funds release by GOI. So, it is a very serious issue now, hence, this direction may kindly be carried in letter & spirit.

भवदीय,

2/8/17

(रोहित कुमार)
सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

C.A.
~~1. संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।~~
2. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद बाडमेर।
5. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।

**परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस**